न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर)राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **06 / 2012**

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. जीवणराम पुत्र मनरूपराम 2. ओमाराम पुत्र मनरूपराम 3. सुगनी पत्नी मनरूपराम जातियान मेघवाल निवासी रजलानी हाल ग्राम गादेरी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 4. रामेश्वरी पुत्री मनरूपराम पत्नी लाबुराम जाति मेघवाल निवासी रजलानी हाल निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 5. परमा पुत्री मनरूपराम पत्नी अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी रजलानी हाल निवासी रडौद तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. बलदेवराम पुत्र मंगलाराम 2. गुड़ाराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अंतर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः– 26.03.2021**

वकील वादीगण ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88,53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया तथा निवेदन किया कि वादीगण की पैतृक संयुक्त परिवार की वादीगण संख्या 01, 02, 04 व 05 के दादा एवं वादी संख्या 03 के ससुर की स्वअर्जित भूमि राजस्व ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ की सरहद में खाता संख्या नया 504 व पुराना 652 खेत खसरा नं. 278 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1588 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 02 कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा आयी हुई है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 505 व पुराना 653 के खसरा नं. 1367, 1372, 1689, 1742 रकबा क्रमशः 04–03, 05–12, 01–[illegible] 09–[illegible] बीघा कुल खसरा 04 कुल रकबा 20–06 बीघा किस्म बारानी तृतीय ग्राम रजलानी में आयी हुई है। वादीगण के दादा व दादी ससुर उरजाराम का स्वर्गवास सेटलमेंट से पूर्व हो गया था, जिसके कारण खाता संख्या 505 की भूमि कुल खसरा 04 कुल रकबा 20–06 बीघा हिन्दू संयुक्त परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

मुख्य स्वर्गीय उरजाराम के चारों पुत्रों के नाम वक्त सेटलमेन्ट शामलाती सही इन्द्राज हुई, एवं चारों पुत्रों के नाम तमाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुऐ थे, वर्तमान रेकर्ड में उनके उतराधिकारियों के नाम इन्द्राज है। यहां लिखना यह भी उचित है कि वादीगण ने उक्त भूमि में से अपना 1/4 बंट व हिस्सा हाल ही बेचान कर दिया है, जबकि खाता संख्या नया 504 पुराना 652 कुल खसरा 02 कुल रकबा 37–14 बीघा भूमि भी संयुक्त परिवार के मुख्य स्वर्गीय उरजाराम की स्वअर्जित भूमि थी। लेकिन वक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि का खाता स्वर्गीय उरजाराम के चारों पुत्रों के शामलाती नाम नहीं आकर स्वर्गीय उरजाराम के सबसे बडे पुत्र व उरजाराम के फौत होने के बाद घर के मुख्यकर्ता खानदान मंगलाराम अकेले के नाम तमाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गयी। उक्त भूमि में स्वर्गीय उरजाराम के चारों पुत्रों का 1/4–1/4 बराबर बंट व हिस्सा है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि है, जिसको वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने स्वर्गीय उरजाराम के पुत्र रामसुख व प्रभुराम के परिवारों को 1/4 हिस्से की भूमि नामान्तरकरण संख्या 2768,2769,2770 दिनांक 20.08.2011 को नाम करवा दी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने शेष रही भूमि जो 1/4 हिस्से वादीगण के बंट की व प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 2810 के जरिये दिनांक 21.10.2011 को बंटवाडा कर लिया, बंटवाडे अनुसार प्रतिवादी बलदेव के बंट में खसरा नं. 278 रकबा 05 बीघा, खसरा नं. 1588/4 रकबा 06–15 बीघा कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी गुड़ाराम के बंट में खसरा नं. 278/3 रकबा 01 बीघा, खसरा नं. 1588 रकबा 06–15 बीघा कुल रकबा 07–15 बीघा अलग अलग बंट में रखी, दोनो ने शामलाती खसरा नं. 278/4 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं. 1588/5 रकबा 02 बिस्वा कुल रकबा 04 बिस्वा रखा। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खातेदारी में आयी कुल भूमि 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादीगण के बंट व हिस्से की भूमि में रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी शामलाती है, वास्ते सबूत में वर्तमान जमाबंदी पेश है। विवादग्रस्त भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खाते में इन्द्राज है, उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा यानि 09 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जा काश्त है, खसरा नं. 278 में वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती ट्यूबवेल खुदा हुआ है, जो चालू हालत में है तथा खसरा नं. 1588 में संयुक्त परिवार की आय से ओपन कुंआ बना हुआ है, जो हाल ही बंद पडा है, उक्त कुआं भी शामलाती है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से स्वर्गीय उरजाराम के दो पुत्र रामसुख, प्रभुराम के वारिसों के नाम आने वाली 1/4–1/4 हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी, व वादीगण के 1/4 हिस्से व बंट की भूमि का दिनांक 29.12.2011 को वादीगण के नाम इन्द्राज कराने से ग्राम रजलानी में मना कर दिया, जबकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

है, जिस पर वादीगण का जन्म से अधिकार है। अतः उक्त दावा वादीगण की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण खातेदारी हक हकूको की घोषणा हेतु पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम इन्द्राज भूमि कुल रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा मे से वादीगण के पूर्व पुरूष मनरूपराम के बंट व 1/4 हिस्से की भूमि रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार के मुख्यकर्ता उरजाराम की स्वअर्जित मानते हुए वादीगण के हक की मानकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर वादीगण को जन्म से अधिकार है, उक्त भूमि पर वादीगण को तमाम खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, परिवार में बढोतरी होने के कारण तथा प्रतिवादीगण द्वारा मनमुटाव रखने के कारण उक्त भूमि का शामलाती काश्त करना अब संभव नही रहा है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के वर्तमान में खाते में इन्द्राज कुल भूमि 37–14 बीघा में से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर वादीगण के पूर्व पुरूष के 1/4 बंट व हिस्से की भूमि रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी बंटवाडे में रखते हुए वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बंटवाडे की डिक्री फरमायी जावे। परिवार में बढोतरी होने व आपस में मनमुटाव होने से प्रतिवादीगण वादीगण से अनबन रखने लग गये है जिसके कारण वादीगण को अंदेशा है कि बाद बंटवाडा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर सकते है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि बाद वाद निर्णय वादीगण के बंट में आने वाली भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे, न ही किसी एजेन्ट के मार्फत करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री बाबूलाल बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अनेकानेक अवसर देने के पश्चात् भी जवाब पेश नही किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जवाबदावा बंद किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुए तथा वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। परन्तु वकालतनामा हेतु अनेकानेक अवसर देने के पश्चात् भी वकालतनामा पेश नही किया गया तथा न्यायालय में उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्सपार्टी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से एवं जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से तनकीयात की आवश्यकता नही है। वादीगण की ओर से वादी संख्या 01 [illegible] ने साक्ष्य शपथपत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, इसलिये साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन कियां एवं हमने पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा साक्ष्य वादीगण का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 278 व 1588 कुल रकबा 37–14 बीघा भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि होने का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि वक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि का खाता स्वर्गीय उरजाराम के चारों पुत्रों के शामलाती नाम नहीं आकर उनके सबसे बड़े पुत्र व घर के मुख्य कर्ता खानदान मंगलाराम अकेले के नाम तमाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गयी। उक्त भूमि में स्वर्गीय उरजाराम के चारों पुत्रों का 1/4–1/4 बराबर बंट व हिस्सा है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा होने के कारण वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में से 1/4 हिस्सा होने के कारण वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी हक की घोषणा किये जाने की इस्तदुआ की है। लेकिन वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया तथा केवल वादी संख्या 01 का साक्ष्य शपथपत्र मौखिक साक्ष्य के रूप में पेश किया है। वादी संख्या 01 के साक्ष्य शपथपत्र के अनुसार वादी संख्या 01 की उम्र 39 वर्ष लिखी हुई है। जिसके अनुसार सेटलमेन्ट के वक्त वादी संख्या 01 का जन्म भी नहीं हुआ था। अतः जो घटना किसी व्यक्ति के जन्म से पूर्व घटित हुई हो, उस घटना के संबंध में उस व्यक्ति के कथनों पर किसी दस्तावेजी या ठोस साक्ष्यों के अभाव में विश्वास किया जाना उचित नही है। वादीगण द्वारा पेश हस्तगत वाद दस्तावेजी व सक्षम साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण वास्ते खातेदारी घोषणा, बंटवाडा, स्थायी निषेधाज्ञा, का दस्तावेजी व अन्य सक्षम साक्ष्यों के अभाव में सारहीन होने के कारण खारिज/अस्वीकार (वादीगण के विरूद्ध निर्णीत) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. जीवणराम पुत्र मनरूपराम 2. ओमाराम पुत्र मनरूपराम 3. सुगनी पत्नी मनरूपराम जातियान मेघवाल निवासी रजलानी हाल ग्राम गादेरी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 4. रामेश्वरी पुत्री मनरूपराम पत्नी लाबुराम जाति मेघवाल निवासी रजलानी हाल निवासी बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 5. परमा पुत्री मनरूपराम पत्नी अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी रजलानी हाल निवासी रडौद तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. बलदेवराम पुत्र मंगलाराम 2. गुड़ाराम पुत्र मंगलाराम जातियान मेघवाल निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बंटवाडा, स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 06/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दस्तावेजी व अन्य सक्षम साक्ष्यों के अभाव में सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख [illegible] को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला–जोधपुर (राज.)